



क्रोपना

# अधिशासी अभियन्ता

## विद्युत वितरण खण्ड—द्वितीय

### मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

सीतापुर

कार्यालय ज्ञापन

कार्यालय ज्ञापन संख्या नं २५१ / विविख खंडो / सीपी०५ (ओ)

1008324111

दिनांक १८/०९/२०२३

निजी नलकूप / पम्पसेट हेतु निम्न उपभोक्ता / उपभोक्ताओं को उनके प्रार्थना—पत्र पर दिनांक.....  
के आधार पर निम्नलिखित कार्य हेतु विद्युत शक्ति की स्वीकृत एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	उपार्जित धनराशि का रसीद नम्बर व दिनांक	स्वीकृत शक्ति			नलकूप लेने का स्थान	विवरण
			हो पा०	बत्ती पंखा	विधा		
1	2	3	4	5	6	7	8
५६४	श्रीराम प्रसाद उत्तरांचलजु प्रसाद, ग्राम- वहेरवा पी. क्लर्क तह- मिठांगी	१००=०० <hr/> १०५३७७१७४९ <hr/> १६-०९-२०२३	०HP	/	५	वहेरवा	निजी नलकूप ठेटु

यह स्वीकृति निम्नलिखित नियमों एवं कार्यक्रमों से प्रतिबंधित है।

1. विजली की मात्रा शोधित होने पर कुछ समय के लिए विजली काटी जा सकती है।
2. यदि उपभोक्ता स्वीकृत विधायों के अतिरिक्त किसी अन्य विधा से विजली का उपयोग करता है तो उसका कनेक्शन बिना किसी सूचना के काट दिया जायेगा।
3. रोशनी के लिए, द्यूबवेल के लिए ६० वाट के दो बल्ब जलाए जा सकते हैं।
4. निजी नलकूप/पम्पिंग सेट के बिल निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अन्यथा उपरोक्त स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
  - (क) निजी नलकूप/पम्पिंग सेट किसी पूर्ण निर्मित राजकीय नलकूप अथवा किसी ऐसे राजकीय नलकूप से जिसका निर्माण किया जा रहा हो २०० मीटर की दूरी के अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
  - (ख) निजी नलकूप/पम्पिंग सेट किसी नहर से १०० मीटर से अन्दर नहीं लगाया जायेगा जैसे यमुना नहर जैसी नहरों की दशा में जहाँ पानी कम हो तो यह प्रतिबन्ध नहीं होगा।

for  
अधिशासी अभियन्ता  
दिनांक १८/०९/२०२३

पत्रांक नं २५१ / विविख खंडो / सी० / स्वीकृत

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. उपखण्ड अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय विद्युत वितरण उपखण्ड खेराबाद/मिथिख/सिधौली।
2. कम्प्यूटर विविख खंड, सीतापुर।
3. सम्बन्धित उपभोक्ता।

for  
अधिशासी अभियन्ता  
१८/०९/२०२३